न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सुनील आर्य, आर. ए. एस.

अपील संख्या:– 31 / 2015 (223 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या :– 2015 / 00194

उनवान

1. मुन्ना
2. जगदीश
3. राजेन्द्र
} पुत्रगण सूखाराम जातिगण कुम्हार निवासीगण ग्राम पुरानी छावनी धौलपुर।

4. अनारदेई (फौत)
   4 / 1. राजवीर
   4 / 2. रामप्रसाद
   4 / 3. प्रेम सिंह
   } पुत्रगण अनारदेई जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम नौबारी तहसील व व जिला आगरा।
5. राजवती
6. रजनी
} पुत्रीयान सूखाराम कौम कुम्हार निवासीगण ग्राम पुरानी छावनी धौलपुर।

7. बीधो वेवा सूखाराम
8. नत्थी उर्फ ननकी (फौत)
   8 / 1. जनक श्री पत्नी नत्थी उर्फ ननकी
   8 / 2. रामनरेश पुत्र नत्थी उर्फ ननकी नाबालिग
   8 / 3. किशन सिंह पुत्र नत्थी उर्फ ननकी नाबालिग
   8 / 4. राजवीर पुत्र नत्थी उर्फ ननकी नाबालिग
   समस्त जाति कुम्हार निवासीगण ग्राम पुरानी छावनी धौलपुर।

विजय सिंह पुत्रगण मंगो उर्फ मंगलिया

10. बसन्ती (फौत)
    10 / 1. राजू पुत्र बसन्ती पत्नी नत्थीलाल कौम कुम्हार निवासी ग्राम नौबारी तहसील व जिला आगरा।
11. शीला (फौत)
    11 / 1. पप्पू पुत्र शीला कौम कुम्हार निवासी ग्राम पुरानी छावनी धौलपुर।
12. गोमा वेवा मंगो उर्फ मंगलिया (फौत)

..................अपीलाण्ट

बनाम

1. जिला कलक्टर, महोदय धौपलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार धौलपुर।

..................रैस्पो0

भू-... अधिकारी
राजस्व ... प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धौलपुर दिनांक 06.04.2009 मि.नं. 104/2007 उनवानी मुन्ना बनाम सरकार।

उपस्थितिः—

1. श्री राजेन्द्र सिंह राणा वकील अपीलांट।
2. राजकीय अभिभाषक अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक—22.01.2025

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 06.04.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि वादी अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक वाद पत्र स्वत्व घोषणा, स्थाई निषेधाज्ञा, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर हाल 1/361 रकवा 03 विस्वा तथा 1/362 रकवा 7 विस्वा वाके ग्राम झोर तहसील धौलपुर के वादीगण अपीलाण्ट के पूर्वज मंगलिया व सूखाराम साविक खसरा नम्बर 1/5 रकवा 02 बीघा के नौतोड काश्तकार संवत 2013 से थे तथा अपने जीवनकाल तक काबिज रहकर काश्त करते रहे। अतः उन्हें राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार स्वतः ही खातेदारी प्राप्त हो चुके थे। मंगलिया व सूखाराम का देहान्त हो चुका है। अतः विवादित आराजी पर बतौर खातेदार काश्तकार उनके विधिक वारिसान वादीगण अपीलाण्ट काबिज काश्त हैं। परन्तु राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी मंगलिया व सूखाराम के नाम बतौर गैर खातेदारी में दर्ज होती चली आ रही है। वादीगण अपीलाण्ट ने कई बार प्रतिवादी रैस्पो0 को विवादित आराजी पर गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार काश्तकार दर्ज करने की कहा तो वह साफ इंकारी हो गये। अतः वाद प्रस्तुत कर विवादित आराजीयात को उनके नाम गैर खातेदारी से खातेदारी का इन्द्राज किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.04.2009 से खारिज कर दिया। जिससे व्यथित होकर वादी अपीलाण्ट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की गयी, जो बाद सुनवाई दिनांक 14.10.2009 को स्वीकार की जाकर वादीगण अपीलाण्ट को विवादित आराजीयात का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया। उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रतिवादीगण रैस्पो0 द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की गयी, जो दिनांक 06.10.2015 से आंशिक स्वीकार की जाकर न्यायालय हाजा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की गयी न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय तनकीवार नहीं किया है। अतः पुनः तनकीवार तार्किक निर्णय पारित करें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी कैम्प-धौलपुर ★ भरतपुर ★

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

2. अपील माननीय न्यायालय के आदेशो की पालना में पुनः दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुये, मौखिक कथनो में तर्क प्रस्तुत किये कि अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत होने के कारण काबिले खारिज है। यह है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल द्वारा प्रकरण न्यायालय हाजा को रिमाण्ड करते हुये विवादित आराजी को पहाड समझकर धारा 16 आरटीए के अन्तर्गत माना है। जबकि विवादित आराजी वास्तव में पहाड नही है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख जमाबन्दी संवत 2014 के खाता संख्या 08 (भूमि के प्रकार) में विवादित भूमि हारखाकी अंकित हैं। इसके अलावा अपीलाण्ट के पूर्वज विवादित आराजी के बतौर नोतोड कृषक के रूप में संवत 2013 से अंकित रहे हैं। धौलपुर रेवेन्यू कोड की धारा 2 में नोतोड कृषक को एक कृषक की श्रेणी में ही माना है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार करते हुये अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन निर्णय को अपास्त किये जाने का निवेदन किया। अपने तर्को के समर्थन में धौलपुर रेवेन्यू कोड का उद्धरण प्रस्तुत किया।

4. हमने पत्रावली एवं अपीलाधीन आदेश का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस वाद को तय करने हेतु चार तनकियॉ निर्धारित की गई हैं तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

5. तनकी संख्या 01 "आया विवादित सविक खसरा नम्बर 1/5 वादीगण के पूर्वज संवत 2013 से नोतोड काश्तकार थे और काबिज थे वादीगण मंगो उर्फ मंगलिया के वारिस हैं और काबिज हैं" इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण अपीलाण्ट पर था। पत्रावली पर उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2014 प्रदर्श 7 के अनुसार सविक खसरा नम्बर 1/5 रकवा 2 बीघा पर मंगलिया, सूखा नौतोड संवत 2013 दर्ज हैं तथा ऐसे ही इंद्राज संवत 2018–21 प्रदर्श 8 में अंकित हैं। धौलपुर स्टेट रेवेन्यू कोड धारा 2 में नौतोड काश्तकार को टिनेंट माना गया है चूंकि संवत 2013 से लेकर संवत 2021 तक मंगलिया व सूखा विवादित भूमि पर नौतोड कृषक के रूप में दर्ज रिकार्ड रहे हैं एवं धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की मंशा के अनुसार यदि कोई काश्तकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ के समय शिकमी आसामी या खुद काश्त आसामी के अलावा अन्य किसी प्रकार के आसामी की हैसियत से दर्ज है अथवा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रारंभ के पश्चात् शिकमी आसामी या खुद काश्त के आसामी के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के आसामी के तौर पर स्वीकार किया हो तो उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त होंगें। चूंकि वादीगण अपीलाण्ट ना तो शिकमी आसामी है

भू-प्रबन्ध अधिकारी कैम्प-धौलपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

ना ही खुद काश्त के आसामी हैं एवं ना ही आवंटी है ना ही प्रकरण राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड रिजम्पसन ऑफ जागीर एक्ट का ही है। अर्थात वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी के नौतोड थे। इस कारण धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार पाने के हकदार होते हैं। अतः यह तनकी वहक वादीगण अपीलाण्ट तय की जाती है।

6. तनकी संख्या 02 :– "आया आराजी विवादित मंगलिया व सूखाराम की गैर खातेदारी में दर्ज है तथा वादीगण संख्या 01 लगायत 07 हिस्सा 1/2 एवं वादीगण संख्या 08 लगायत 12 हिस्सा 1/2 के खातेदार काश्तकार घोषित कराने एवं रिकार्ड में खातेदारी का अंकन कराने के अधिकारी हैं" पत्रावली पर उपलब्ध जमाबन्दी संवत 2061–64 प्रदर्श 6 अनुसार वादीगण के पूर्व पुरूष मंगलिया व सूखा विवादित आराजी पर बतौर गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त परिवर्तन दौराने भू प्रबन्ध हुए हैं। हमारी दृष्टि में भू प्रबन्ध के अंकन क्षेत्राधिकार से बाहर होने के कारण अवैध हैं। परन्तु चूंकि तनकी संख्या 01 वादीगण अपीलाण्ट के पक्ष में निर्णित की गयी है। अतः वादीगण अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 07 हिस्सा 1/2 एवं वादीगण अपीलाण्ट संख्या 08 लगायत 12 हिस्सा 1/2 मंगलिया व सूखा के विधिक वारिसान होने के कारण स्वयं को खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के हकदारी होते हैं। अतः यह तनकी भी वादीगण अपीलाण्ट के हक में तय की जाती है।

7. तनकी संख्या 03 "आया वादीगण ने गैर खातेदारी का श्रोत नहीं बताया है। गैर खातेदारी के इंद्राज गलत हैं। वादीगण के पूर्व पुरूषो का संवत 2012 में को कोई कब्जा काश्त दर्ज नहीं है" जैसा कि तनकी संख्या 01 व 02 में आ चुका है। वादीगण अपीलाण्ट ना तो शिकमी आसामी है ना ही खुद काश्त के आसामी हैं एवं ना ही आवंटी है ना ही प्रकरण राजस्थान लैण्ड रिफार्म एण्ड रिजम्पसन ऑफ जागी एक्ट का ही है। अर्थात वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी के नौतोड थे। इस कारण धारा 15 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादीगण अपीलाण्ट विवादित आराजी पर खातेदारी अधिकार पाने के हकदार होते हैं। जहॉ तक गैर खातेदारी के इंद्राज का प्रश्न है। उक्त इंद्राज दौराने बंदोबस्त परिवर्तित हुये हैं। अतः यह तनकी भी वादीगण अपीलाण्ट के पक्ष में तय की जाती है।

8. तनकी संख्या 04 "आया वादीगण ने दावा दायरी से पूर्व धारा 80 जा0दी0 का नोटिस नहीं दिया है, इसका वाद पर कया प्रभाव है" इस तनकी को प्रतिवादीगण की ओर से प्रेस नहीं किया गया है। अतः यह तनकी इसी प्रकार तय की जाती है।

9. अनुतोष :–समस्त तनकीयात का निस्तारण किया जा चुका है। वादीगण अपीलाण्ट राजस्थान जमींदारी विस्वेदारी उन्मूलन एक्ट की धारा 30 के अनुसार राजस्थान

भू-प्रबन्ध अधिकारी
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। जहॉ तक माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा विवादित आराजी को पहाड माना जाकर धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 से प्रतिबंधित माना गया है। इस संबंध में हमारा मत है कि विवादित आराजी जमाबन्दी संवत 2014 के कॉलम संख्या 8 (किस्म भूमि) में पहाड दर्ज ना होकर हारखाकी के रूप में दर्ज है। अतः विवादित आराजी को धारा 16 से प्रतिबंधित नहीं माना जा सकता है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम अपील अपीलाण्ट स्वीकार योग्य पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर के निर्णय व डिक्री दिनांक 14.10.2009 अपास्त किये जाकर वादीगण अपीलाण्ट को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ वापस भिजवाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 22.01.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुनील आर्य)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर